न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 381/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– ओमप्रकाश पुत्र जसराज 2– श्यामलाल पुत्र जसराज 3– नकतमल पुत्र जसराज 4– मनोज कुमार पुत्र जसराज 5– मुकेश कुमार पुत्र जसराज 6– रावलचंद पुत्र हरीराम 7– स्वरूपचंद पुत्र हरीराम 8– श्रीमती गीता पत्नी हरीराम 9– फौजराज पुत्र खेतीदास 10–सत्यनारायण पुत्र खेतीदास 11– पुरोदेवी पत्नी खेतीदास 12– भंवरलाल पुत्र पन्नालाल 13– भीकमचंद पुत्र पन्नालाल 14– कमलेश पुत्र पन्नालाल 15– बादामी पत्नी पन्नालाल 16– त्रिलोकचंद पुत्र राणीदान 17–तुलसीराम पुत्र मिश्रीमल सभी जातियान महाजन निवासी गांव सुवालियां किशनपुरा तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ जो आदेश कमांक/राजस्व/2018/480 दिनांक 28–6–2018 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सूरजमल नवीन अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 3–5–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलेक्टर जोधपुर के पत्रांक भू0अ0/रा.लो.अदा./2016/12663–12675 दिनांक 2–9–2016, संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10–8–16, संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट/13 जयपुर दिनांक 24–10–2017 एवं जिला कलेक्टर जोधपुर के पत्रांक भू0अ0/अभियान/2017/10376 –99 दिनांक 30–10–2017 के अनुसरण मे एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित रास्ते संबंधी समस्याओ के निराकरण अभियान 2016 के तहत चालू, सनातन, कदीमी एवं स्थाई रास्तो के राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस मे दुरस्ती करवाने हेतु तहसीलदार शेरगढ ने उनके पत्र कमांक भू.अ./2018/2253 दिनांक 7–6–2018 के सलंग्न प्रेषित

सूची जिसमे पटवार मण्डल सुवालिया के राजस्व ग्राम सुवालिया के खसरा नंबरान 1173, 1049, 1044, 1058 एवं 1063 की कमशः 4.14, 1.12, 2.17, 2.13 एवं 1.16 कुल 13.12 बीघा भूमि को रास्ते हेतु राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस मे दुरस्ती करने संबंधी आदेश जारी करने के प्रस्ताव के क्रम मे उपखण्ड अधिकारी शेरगढ ने अपीलाधीन आदेश कमांक/राजस्व/2018/ 480 दिनांक 28–6–2018 पारित किया । उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 28–6–2018 से व्यथित होकर वर्तमान अपीलांटगण ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सुवालिया नया नाम किशनपुरा के खसरा नंबर 1173 एवं खसरा नंबर 1186 के संयुक्त खातेदार अपीलांटगण है तथा कथन किया कि उक्त दोनो ही खसरो के उत्तर दिशा के किनारे एवं खसरा नंबर 1173 के अन्दर से हाकर एक ग्रेवल सडक स्थित है, जो गांव सुवालिय को गांव नरसींगपुरा से जोडती है । इसी तरह एक अन्य सडक अपीलार्थी के खातेदारी खेत खसरा नंबर 1186 के अंदर से होते हुए निकली हुई है, जो सुवालिया गांव से होकर खावडिया गुरूओं की ढाणी से होकर गांव नरसींगपुरा को जोडती है । अथार्त अपीलांटगण के उक्त दोनो खसरा नंबरान मे से होकर राजस्व अभिलेख मे दो सडक स्थित है तथा दोनो सडको के किनारे अलग से तारबंदी की हुई है तथा उक्त दोनो सडके कई खातेदारो के खेत मे से होकर निकलती है जिससे खातेदारो को आवागमन की सुविधा प्राप्त होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलार्थी के सह खातेदारी के खसरा नंबर 1173 मे से होकर पूर्व से पश्चिम रास्ता निकालने का आदेश कर दिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा251 (क) की अवहेलना करते हुए पारित किया गया है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि उक्त अधिनियम मे यह स्पष्ट प्रावधान है कि आपसी सहमति से रास्ता या अन्य सुविधा पीडित पक्ष को नही हो पाती है तो वह व्यक्ति ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगा एवं यह साबित करेगा कि उसकी जोत तक पंहुचने का कोई रास्ता उपलब्ध नही है, उसे रास्ता विहित प्रकिया के तहत दिलाया जा सकता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई आवेदन पत्र पेश नही किया गया और न ही अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई मौका रिपोर्ट ही मंगवाई गई ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सहखातेदारो को बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं मौका रिपोर्ट तलब किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसकी जानकारी अपीलांट को समय पर नही हो सकी इसलिए अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने पर

धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा कदीमी से चले आ रहे ऐसे रास्तो जिनका राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद नही किया गया है, उनको राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने हेतु चलाये गये अभियान मे पारित निर्देशों के आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध पत्रादि तथा उसके क्रम मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश का गहनता से अध्ययन किया । राज्य सरकार द्वारा संचालित रास्ते संबंधी समस्याओ के निराकरण अभियान 2016 के तहत चालू, सनातन, कदीमी एवं स्थाई रास्तो के राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस मे दुरस्ती करवाने के निर्देशो के क्रम मे तहसीलदार शेरगढ ने उनके पत्रांक भू.अ./2018/2253 दिनांक 7–6–18 के सलंग्न ग्राम सुवालिया के खसरा नंबरान 1173, 1049, 1044, 1058 एवं 1063 की क्रमशः 4.14, 1.12, 2.17, 2.13 एवं 1.16 कुल 13.12 बीघा भूमि जिन पर मौके पर रास्ता विद्यमान है लेकिन राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही होने से प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकर्ड मे रास्ते के रूप मे अमल दरामद करवाने हेतु प्रस्ताव बिना मौका जांच करवाये अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के समक्ष प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्रस्तावित भूमि के खातेदारान को सूचित कर उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तहसीलदार शेरगढ के प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित भूमि के पृथक खसरा नंबरान कायम कर किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करने तथा राजस्व नक्शे मे रास्ते का अंकन करने बाबत जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

अपीलांटगण द्वारा इस अपील के साथ स्वयं के खातेदारी भूमि मौजा सुवालिया के खसरा नंबर 1173 के राजस्व नक्शे की सत्यप्रति जो पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 3–8–18 को जारी की गई है, जिसमे अपीलांटगण के खसरा नंबर 1173 के उत्तर दिशा मे एक रास्ता (ग्रेवल सडक) पहले से ही दर्शाया हुआ है, जिसका उल्लेख इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मीमो के पद संख्या 1 मे किया हुआ है जिसके अनुसार उक्त रास्ता गांव सुवालिया से नरसिंगपुरा को जोडता है,। जब उक्त खसरा नंबर 1173 मे से पहले से ही एक ग्रेवल सडक विद्यमान है तो अन्य रास्ता उसी खसरा नंबर मे से दर्ज करने का प्रस्ताव किसके निवेदन पर प्रस्तुत किया गया तथा इसकी आवश्यकता क्यों पडी, ऐसा कोई प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध नही है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायायल उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–6–2018 मे वर्णित अन्य खसरा नंबरान मे से

अपीलांटगण के खसरा नंबर 1173 के संबंध मे पारित आदेश को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे ग्राम सुवालिया के खसरा नंबर 1173 की भूमि मे से नया रास्ता घोषित करने से पूर्व विधिवत मौका निरीक्षण अपीलांटगण खातेदारान की उपस्थिति मे करवाकर मौका फर्द तलब करे तथा बाद जांच नियमो मे वर्णित प्रावधान अनुसार पुनः खसरा नंबर 1173 के संबंध मे नये सिरे से निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 3–5–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर